

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़  
 सुखाराम बनाम राजस्थान सरकार  
 किस्म प्राथमिक पत्र मुकदमा नं. 114 सन 2025  
5/11/25 2025/233

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/6/25	<p>प्राथमिक पत्र पण्डित दीनदयाल उपाध्याय                      अन्त्येष्ट लम्बन पत्रवादा के तहत                      प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार                      सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली जाकर                      प्रकृत दर्ज किया जाने पत्रवादी इन्तजार                      रिपोर्ट दि. 10/7/25 को पेश हो।</p>	
10/7/25	<p>प्रकरण के अभिभावक समस्थित                      पी.ओ.साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।                      पत्रवादी वास्तु आईदा कार्यवाही हेतु                      दिनांक 11/8/25 को पेश हो।</p>	
11/8/25	<p>पत्रवादी पेश हुई रिपोर्ट तहसीलदार                      प्राथमिक रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज का                      इलकपेकन किया गया। प्रकृत दाय प्रस्तुत जमानकी                      अनुसार प्राथमिक व उसके परिवारिक सदस्यों के                      नामों प्राथमिक रिपोर्ट का नाम प्रियवाराध                      ही अंकित है तहसीलदार रिपोर्ट के भी प्रियवाराध                      व प्रियवाराध एक ही व्यक्ति के नाम होगा लक्षित                      नहीं होता अतः प्राथमिक का प्राथमिक पत्र इसी                      स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रवादी नम्बर                      लेकर होकर शकिल दफ्तार हो।</p>	